शुद्धिपत्र

संख्या-308/2026/आई/1292361/23-1-26-23-1002(002)/163/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 09 अप्रैल, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 192 कार्यों के नवनिर्माण कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054 में विभिन्न पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के क्रम में शासनादेश संख्या-271/2026/आई/**1285128/**23-1-26/001-23-1002(002)/163/2026, दिनांक 31.03.2026 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत **विभिन्न मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 192 मार्गों के नवनिर्माण कार्यों** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया है।

2- उक्त शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-184 पर अंकित जनपद गाजीपुर के 01 कार्य ताजपुर मोलना से चिलौना कला सम्पर्क मार्ग के स्थान पर ताजपुर गोलमा से चीतीना कलॉ संपर्क मार्ग अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त स्वीकृत शासनादेश संख्या-271/2026/आई/**1285128/**23-1-26/001-23-1002(002)/163/2026, दिनांक 31.03.2026 में अंकित तालिका के क्रमांक-184 पर कार्य ताजपुर गोलमा से चीतीना कलॉ संपर्क मार्ग के स्थान पर ताजपुर मोलना से चिलौना कला सम्पर्क मार्ग पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2026 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-308/2026/आई/1292361(1)/23-1-26-23-1002(002)/163/2026-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।